न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी – मांगीलाल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या – 33/2020

1.जगविन्द्रसिह } पि0 आत्मासिह जाति सैनी निवासीयान तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी
2.जसविन्द्रसिह } जिला हनुमानगढ। –प्रार्थीगण

बनाम्

1.बलवीरसिह
2.अमरसिह (फौत)
2/1 लवप्रीत सिंह पुत्र } अमर सिंह पि0 निरजंनसिह जाति सैनी निवीयान तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3.सरदारासिह
4.प्रेमसिह
5.सुरेन्द्रसिह पुत्र काबलसिह जाति सैनी निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री अब्दुल सत्तार जोईया, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय **दिनांकः–04.03.2021**

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि चक 1 टी.एल.डबल्यू बी पटवार हल्का तलवाड़ा के प0न0 237/297 मु0 8 किलानं0 4/.253 है0 नहरी, 7/1/.228 नहरी, 7/2/.025 है0 गै0मु0 कुआं, 18/ .253 है0, 19/1/.076 नहरी, 22/2/.038 है0 नहरी, 23/.253 है0 नहरी कुल 1.126 है0 आराजी मय गै0मु0 कुआं प्रार्थीगण के नाम से ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व कागजात माल है, जो प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में दफा हाजा में वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण की धान की फसल काश्त की हुई है। फोटो कॉपी जमाबन्दी चक 1 टी.एल.डबल्यू बी खाता सं0 53/52 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त वर्णित आराजी तलवाड़ाझील की सैनीयों की ढाणी की आबादी से चिपती भूमि है।आज से करीब 1) वर्ष पहले ग्रामपंचायत ने तलवाड़ा झील के वार्डनं0 11 की आबादी के लोगो के घरो के गन्दे पानी की निकासी के लिए प्रार्थीगण की आराजी के किलानं0 22/2 के पास वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाया जिसमें वार्डनं0 11 के वासियों के घरों का गन्दा पानी जाता था। प्रार्थनापत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी के पश्चिम की ओर माईनर नहर निकलती है तथा प्रार्थीगण की आराजी के पश्चिम में माईनर नहर की पटरी व नहर की भूमि है। ग्राम पंचायत तलवाड़ाझील द्वारा किलानं0 22/2 के पास वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाते वक्त प्रार्थीगण को कहा गया था कि उपरोक्त हार्वेस्टिग सिस्टम नहर की आराजी में लगा रहे है। दिनांक 21.08.2020 को

नहरी विभाग के कर्मचारियो व अधिकारियों द्वारा सीमाज्ञान किया गया तो उपरोक्त हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रार्थीगण की आराजी किलानं0 22/2 में लगा होना पाया जिसको प्रार्थीगण कानून प्रक्रियां से हटवाने के अधिकारी है जिसके लिए प्रार्थीगण अलग से कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। दफा हाजा में वर्णित हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्तमान मे खराब पड़ा है जिसकी वजह से वार्डनं0 11 के घरो का गन्दा पानी उसमें नही जा सकता इसलिए अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की आराजी के किलानं0 19/1/.076 है0 नहरी, 22/2/.038 है0 नहरी की आराजी में धान की फसल का उखाड़कर गन्दे पानी की निकासी के लिए जबरदस्ती बिना किसी कानूनी अधिकारिता के अवैद्य रुप से खाला निकालने पर आमदा है जबकि अप्रार्थीगण को हम प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी करने की कानूनी अधिकारिता नही है, ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में जबरदस्ती बिना किसी कानूनी अधिकारिता के खाला निकालने अथवा अन्य किसी व्यक्तियों से निकलवाने में कामयाब हो गये तो हम प्रार्थीगण को अपरिमेय क्षति होगी।अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा वहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण की आराजी के प0न0 237/297 मु0 8 किलानं0 19/1/ .076, 22/2/.038 है0 नहरी आराजी में जबरदस्ती खाला निकालने अथवा अन्य किसी व्यक्तियों से खाला निकलवाने तथा हम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार से रिपोर्ट ली गई व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र निरजंन सिंह के फौत होने के पश्चात अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 पेश किया जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी ने अनापत्ति जाहिर की तत्पश्चात् अमरसिंह के वारिस लवप्रीत सिंह पुत्र अमरसिंह को वतौर अप्रार्थी संयोजित किया गया।

जवाव प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाव प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में कुल भूमि 1. 126 हैक्टेयर दर्ज होना सही है, लेकिन चक न0 1 टीएलडब्लयूबी के प0 न0 237/297 के किला न0 19/1/.076, 22/2/.038, भूमि में दोनो वीघो के पश्चिम दिशा की सीमा पर 5 गुणा 165, 5 गुणा 165 दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि पर कमी कब्जा प्रार्थीगण का नहीं रहा है क्योकि प्रार्थी की भूमि किला न0 19 वा 22 की पश्चिमी सीमा पर नहर की भूमि के रकवा के चिपता हुआ 5 फुट चौड़ा व 330 फुट लम्बा खाला की भूमि है। यह खाला सैनियों की आवासीय ढ़ाणियों के वासीदागण करीब 30–35 घरो का पानी निकासी के लिये है जो खाला सन् 1994 से प0 न0 237/297 के किला न0 2, 9, 12, 19, 22 की पश्चिमी सीमा पर प्रत्येक किला में 5 फुट चौड़ा तथा 165 लम्वा निर्मित खाला चलता आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि किला नम्वर 19, 22 में तत्समय जो कि राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज थी, प्रत्येक किला की पश्चिमी सीमा पर प्रार्थीगण ने व किला न0 2, 9, 12 के खातेदार ताउ श्रवण सिंह, चाचा दादा केसर सिंह जरनैल सिंह वगैरा ने पंचायत फैसले में सहमति से अपनी अपनी भूमि के किलो मे से 5 फुट चौड़ा पूर्व से पश्चिम व 165 फुट लम्वा उत्तर से दक्षिण लिखित सहमति से कर खाला चालू किया था जो अब तक चला आ रहा था प0 न0 237/297 के किला न0 2, 9, 12 के खाला के स्थान की 5 फुट चौड़ी व 165 फुट लम्बा दान में खाले के लिये लिखित में स्वीकृति श्रवण सिंह खातेदार व अन्य खातेदारान ने दी थी तथा प0 न0 237/298 के किला न0 2 में 5 फुट चौड़ी वा 165 फुट लम्वी भूमि खाले के लिये दान में दी थी वा प्रार्थीगण की भूमि प0 न0 237/297 के किला न0 19, 22 में 5 फुट चौड़ी पूर्व पश्चिम व 165 फुट लम्बी उत्तर से दक्षिण में लिखत में दान में प्रार्थीगण ताउ श्रवण सिंह, चाचा, दादा केसर सिंह जरनैल सिहं वगैरा ने दी थी। प्रार्थीगण के ताउ, चाचा, दादा की दान में कि. न. 19, 22 में दान में दी गई 5 फुट गुणा 330 फुट भूमि पश्चिम दिशा में खाला निरतर पंचायत लिखत के समय अर्थात 1994 से चालू रहा है।

कि प्रार्थीगण की भूमि प0 न0 237/297 के किला न0 19/1/.076 , 22/2/. 038 पूर्व में राष्ट्रपति भारत सरकार की निष्क्रात सम्पति भूमि थी तथा इन दोनो किला की भूमि में जोहड़ा था जिसमें पानी खाला में से होकर एकत्रित होता था जो भूमि प्रार्थीगण ने वाद में छुपकर अपने नाम अलाट करवायी थी व खाला चालू रहा । प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की भूमि सैनियों की वार्ड न0 11, में ढ़ाणी की आबादी से चिपती होना स्वीकार है वा पंचायत ग्राम पंचायत तलवाडा झील के द्वारा सैनियो की ढ़ाणी वार्ड न0 11 की आबादी के लोगो वासीदगान के घरो के गंदे पानी की निकासी हेतू किला न0 22/2 के पास वाटर हार्वेस्टींग सिस्टम लगाना सही है, लेकिन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम किला न0 22 की पश्चिमी–दक्षिणी कोर्नर में प्रार्थीगण के पिता तत्समय खातेदार आत्मा सिंह द्वारा दान में दी गई भूमि 5 फुट में नहर की पटरी की सीमा के पास बनाया हुआ है न कि प्रार्थीगण की भूमि में अप्रार्थीगण के घरो का पानी हारवेस्टर सिस्टम में जाना सही है, लेकिन हारवेस्टर के चिपते हुये पश्चिमी दिशा में खाला किला न0 22, 19, 2, 9 व 12 में से चलता था क्योकि बरसात होने पर पानी की मात्र बढ़ने से वा घरो का पानी ज्यादा हो जाने पर हारवेस्टिंग सिस्टम की क्षमता से ज्यादा होने से पानी खाला में से होकर उतर दिशा में खाले में से होकर जाता रहा है।

कि इस चरण स0 में प्रार्थीगण का अभिकथन हारवेस्टिंग सिस्टम लगाते वक्त ग्राम पंचायत तलवाड़ा झील ने कहा हो कि हारवेस्टिंग सिस्टम नहर की भूमि में लगाते है, गलत है क्योकि पंचायत को जो सार्वजनिक सुविधाये लगाने हेतू बजट का प्रयोग नहरी की भूमि में लगाने का प्रावधान नहीं है बाकायदा इसके लिये पूर्ण जांच कर समस्त कानूनी औपचारिकता करते हुये हारवेस्टिंग सिस्टम किला न0 22 में ही लगाया था। नहरी विभाग को पैमाईश करने का कोई अधिकार नहीं है क्योकि पैमाईश हमेशा राजस्व रिकार्ड के आधार पर राजस्व कर्मचारी ही कर सकते है। प्रार्थीगण को भली भांति पता व ज्ञान था कि किला न0 19, 22 की भूमि में तत्समय रिकार्डड खातेदार आत्मा सिंह द्वारा 5 फुट गुणा 165 फुट प्रत्येक किला में भूमि दान प्रार्थीगण के ताउ श्रवण सिंह, चाचा दादा केसर सिंह जरनैल सिंह वगैरा द्वारा की हुई है। हारवेस्टिंग सिस्टम खराब नहीं पड़ा बल्कि प्रार्थीगण द्वारा हारवेस्टिंग सिस्टम के चारो तरफ 5 फुट उंचा मिट्टी का डोला बनाकर बंद कर दिया जिससे पानी इक्टठा होकर हारवेस्टिंग सिस्टम को बलोक प्रार्थीगण ने किया है। प्रार्थी का यह कथन गलत व अस्वीकार है कि अप्रार्थीगण गंदे पानी की निकासी हेतू नया खाला खोद रहे है खाला प0 न0 237/297 के किला न0 2, 9, 12, 19, 22 में गंदे पानी निकासी हेतू सभी खातेदारान द्वारा 5 फुट चौड़ी व 165 फुट लम्बी भूमि सभी किलो में दान की गई भूमि पर चल रहा था। प्रस्ताव दान पत्र की छाया प्रति पेश है अब जबरदस्ती प्रार्थीगण ने किला न0 19, 22 में करीब 26–27 वर्ष से चल रहे खाला को मिसमार कर गंदे पानी की निकासी को अवरूद्व किया है। खाली अप्रार्थीगण नया नहीं निकाल रहे है बल्कि चालू खाला को जो प्रार्थीगण ने मिसमार कर दिया, को चलाना चाहते है। अप्रार्थीगण स0 1 सें 5 को ही पक्षकार बनाया गया जबकि वार्ड न0 11, सैनियों की ढ़ाणी की आवादी 30–35 घरो की है जिन सभी घरो का पानी निकासी इसी खाला से हो रही थी। प्रार्थीगण के पक्ष में कोई सुविधा का सन्तुलन नहीं बनता वा ना ही प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम द्वष्टया मामला वना है, खाला वंद करने से अप्रार्थीगण एंव अन्य लोगो के घरो में बरसात व घरो का गंदा पानी घरो में घुस गया है जिनके शौचालय, वाथरूम, भूमि में धंस गये वा मकानो की दीवारोमें दरार आ गई है वा लाखो रूपयों का नुकसान हो गया है। प्रार्थीगण को कोई अपरियमेय क्षति नही होकर अप्रार्थीगण को असीमित हानि हुई है। प्रार्थीगण कोई भी अरथायी निषेधाज्ञा प्राप्ती का अधिकारी अप्रार्थीगण के विरूद्व नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र में **सुसंगत अतिरिक्त कथन किये गये** (क) यह कि वार्ड न0 11 में स्थित आबादी में करीब 35 घरो की आबादी है सैनियों की ढ़ाणी में बने मकानात वा घरो का गंदा तथा बरसात का भी पानी प0 न0 237/298 के किला न0 2, 9 में बने पक्का खाला से होकर प0 न0 237/297 के किला न0 22, 19, 12, 9, 2 की पश्चिमी सीमा पर प्रत्येक किला में 5 फुट पूर्व से पश्चिम

चौड़ा वा प्रत्येक किला में 165 लम्बा दक्षिण से उतर में बने खाले में से सन् 1994 से निरंतर घरो के पानी की निकासी हो रही हैं। उक्त खाला प्रार्थीगण के किला न0 22/2 में बने हारवेस्टर के साथ चिपता हुआ खाला किला न0 19 में से होकर चलता रहा है क्योकि हारवेस्टिंग सिस्टम की बरसात के पानी को झेलने की क्षमता नहीं है।

(ख) यह कि सन् 1994 में दिनांक 23.02.1994 को गुरूद्वारा तलवाड़ा झील के प0 न0 237/297, 237/298 की भूमि के खातेदार जिनके तत्समय खातेदार वादीगण का पिता आत्मा सिंह तथा श्रवण सिंह, सतनाम सिंह, केसर सिंह, जंगीर सिंह तथा अन्य काफी व्यक्ति सैनियों की ढ़ाणी के इक्टठे हुये वा गंदे पानी घरो से निकासी हेतू खाला की व्यवस्था हेतू प0 न0 237/298 के किला न0 2 के मालिक ने तथा प्रार्थीगण के पिता आत्मा सिंह ने प0 न0 237/297 के किला न0 22 तथा 19 में पश्चिमी सीमा पर प्रत्येक किला में 5 फुट चौड़ा 165 फुट लम्बा तथा किला न0 2, 9, 12 के खातेदार ने सतनाम सिंह, गुरदीप सिंह, मनजीत सिंह, रणजीत सिंह, गुरदेव सिंह पिसरान केसर सिहं ने अपनी–अपनी भूमि में से घरो के गंदे पानी की निकासी हेतू 5 फुट गुणा 165 फुट भूमि दान की जिससे सैनियों की ढ़ाणी वार्ड न0 11, के वासिदागण के घरो का पानी निकासी हो जावे। उस लिखित में सभी ने सहमति दी कि अगर भविष्य में कोई भी पक्षकार भूमि विक्रय करे तो वह खाला की भूमि 5 फुट को विक्रय नही करेगे। लिखित दिनांक 23.02.1994 पेश है।

(ग) यह कि प्रार्थीगण द्वारा 10–12 रोज पहले खाला में बंधा लगाने के कारण अप्रार्थीगण के घरो की नालियों में पानी की निकासी बंद हो गई व बरसात होने पर घरो का पानी अप्रार्थीगण व अन्य वासींदगण के घरो में पानी भर गया जिससे घरो में बनी टायलट धंस गई वा मकानों में पानी घुसने से दीवारो में दरार आ गई वा गुरूद्वारा में पानी भरने से दीवारे धंस गई वा दरारे आ गई। इस पर अप्रार्थीगण ने उपखंडाधिकारी टिब्बी को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति जिला कलेक्टर महोदय, तहसीलदार साहव, एस.एच.ओ. तलवाड़ा झील, विकास अधिकारी आदि को भेजी गई। प्रार्थना पत्र पर श्रीमान्जी एस.डी.एम. साहब टिब्बी ने प्रार्थना पत्र की फोटो सहित बी.डी.ओ. साहब को पत्र क्रंमाक स0 1034 दिनांक 24.08.2020 को जांच हेतू पत्र लिखा। फोटोप्रति आदेश व प्रार्थना पत्र शामिल है।

(घ) यह कि दिनांक 21.08.2020 को पटवारी हल्का का नहरी विभाग के अधिकारी/सीमा नहर की भूमि का सीमा ज्ञान कर रहे थे वा बुर्जी लगा रहे थे तो प्रार्थीगण ने सीमा ज्ञान का विरोध किया व मौका पर प्रार्थीगण व अन्य ने उपस्थित होकर अप्रार्थीगण व अन्य को मारपीट कर गंभीर चोटे पंहुचाई व अमर सिंह का दांत तोड़ दिया जिसकी एफ.आई.आर. स0 140/2020 थाना में प्रार्थीगण व अन्य के विरूद्व अप्रार्थी वलवीर सिंह ने दर्ज करवाई। फोटोप्रति एफ.आई.आर पेश है। इन सभी तथ्यों को छुपाकर प्रार्थीगण अदालत से स्थगन प्राप्त करने के प्रयास में है, अगर स्थगन आदेश जारी हुआ तो खाला बंद रहने से वरसात आते ही पूरी सैनियों की ढ़ाणी के घर डूब जावेगे वा उन्हे भारी व ना पूरी होने वाली क्षति होगी। प्रार्थीगण वदनियत है जिन्होनें आबादी के 26–27 साल से बने पानी निकासी के खाला को तोड़ दिया वा पानी निकासी वंद कर दी। अतः खाला तुरन्त बनवाने की आज्ञा दी जाकर खाला चालू करावे। सुविधा का सन्तुलन, प्रथम द्वष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के विरूद्व बलवीर सिंह ने खाला नष्ट करने की एफ.आई.आर. दिनांक 21.08.2020 को दर्ज करवाई है जिसकी नकल संलग्न है। अतः जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. प्रार्थीगण खारिज कर खाला तुरन्त बनाने की आज्ञा बी.डी.ओ./तहसीलदार एंवम एस.एच.ओ. टिब्बी को आदेश जारी फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र वावत अरथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुनी गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों आर.आर.डी. 1994 पेज 718, रामदयाल बनाम भगवान सिंह आदि व आर.आर.डी. 1996 पेज 570 श्रीमती गुली आदि बनाम रामचन्द्र आदि का अध्ययन कर इन्हे मार्गदर्शी सिधान्तों के रूप में उपयोग किया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, जवाव

प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान- द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जमावन्दी, नजरीनक्शा, अपंजीकृत दानपत्र का अध्ययन किया। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण दोनो के कथनों से स्पष्ट है कि चक 1 टीएलडवल्यू के पत्थर नं. 237/297,मु.न. 08, किला नं. 04/.253 है0 नहरी , 7/1/.228 है0 नहरी ,7/2/.025 है0 गैर मुमकिन कुऑ, 18/.253है0 ,19/1/.076 है0 नहरी ,22/2/.038 है0 नहरी, 23/.253 है0 नहरी कुल 1.126 है0 आराजी मय गैर मुमकिन कुऑ प्रार्थीगण के नाम से वहिव दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण का मुख्य अनुतोष है कि उक्त आराजी में से प.न. 237/297 मु.न. 08 किला नं.0 19/1/.076 है0, 22/2/.038 है0 में अप्रार्थीगण जबरदस्ती खाला निकलवाने और प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग –उपभोग में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे। अप्रार्थीगण के अनुसार उक्त प.न. 237/297 मु.न. 08 किला नं.0 19/1/.076 है0, 22/2/.038 है0 भूमि में दोनो बीघों की पश्चिमी सीमा पर 5 गुणा 165, 5 गुणा 165 दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि पर कभी कब्जा प्रार्थीगण का नहीं रहा है। क्योंकि प्रार्थीगण की भूमि कि.न. 22 व 23 की पश्चिमी सीमा पर नहर की भूमि के रकबा से चिपता हुआ 5 फीट चौड़ा व 330 फीट लम्बा खाला की भूमि है। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त 330 फीट लम्बी व 5 फीट चौड़ी भूमि प्रार्थी के चाचा,दादा,ताऊ ने दान में दी थी। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया है कि उक्त प.न. 237/297 मु.न. 08 किला नं.0 19/1/.076 है0, 22/2/.038 है0 भूमि पूर्व में निष्क्रान्त भूमि थी जिसे वादी ने वाद में छुपाकर अलॉट करवाई थी।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1– प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो की वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन , शपथपत्र व जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी प.न. 237/297 मु.न. 08 किला नं.0 19/1/.076 है0, 22/2/.038 है0 भूमि प्रार्थीगण की नहरी खातेदारी भूमि है और दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण के अनुसार उक्त भूमि की पश्चिम दिशा में 330 गुणा 5 वर्गफीट भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो ने दान की थी लेकिन ऐसा कोई पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियां प्रथम दृष्टया मामला वनाने के लिए पर्याप्त है। किसी भी खातेदार की भूमि पर अनावश्यवक रूप से अतिक्रमण कर गन्दे पानी की निकासी नही की जा सकती। हमारे विनम्र अभिमत में किसी भी आड़ में प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थीगण को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। और अप्रार्थीगण इसे सावित करने में असफल रहे हैं।

2– सुविधा का सन्तुलन :– अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि अगर हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया गया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं।

चूंकि प्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार हैं और एक अभिलिखित खातेदार अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए अधिकृत है। चूकिं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हुआ है। अतः वादगत आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र ,दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3– अपूरणीय क्षति :– उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन दोनो प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी सावित हुए है। चूंकि प्रार्थीगण/वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनो बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या मामला,सुविधा का सन्तुलन और अपूर्णनीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधि संगत समझते है।

:– आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 2112 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण- इस आशय का जारी किया जाता है कि वे चक 1 टीएलडबल्यू के प.न. 237/297 मु.न. 08 कि.न.19/1/.076 है0,22/2/.038 है0 नहरी आराजी में ताफैसला वाद प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में दखल अन्दाजी न करें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधि.
टिब्बी